संख्या–137 /VI–I/2005

प्रेषक,

संतोष बड़ोनी
अनुसचिव
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

सहायक निदेशक,
संस्कृति विभाग
उत्तरांचल देहरादून।

संस्कृति अनुभाग

देहरादून : दिनांक 24 अक्टूबर, 2005

विषय :– दिनांक–22 अक्टूबर, 2005 को उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, उत्तरांचल द्वारा मसूरी में प्रस्तावित "अति वृद्ध लोक कलाकार/साहित्यकार सम्मान समारोह "के आयोजन पर होने वाले व्ययों के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद उत्तरांचल के प्रस्ताव दिनांक– 14–10–2005 एवं शा0 सं0–137/VI-I/2005 दिनांक– 17–5–2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद, उत्तरांचल की दिनांक– 22 अक्टूबर, 2005 को मसूरी में अति वृद्ध लोक कलाकार/साहित्यकार सम्मान समारोह के आयोजन पर आवश्यक व्ययों की प्रतिपूर्ति यथा सदस्यों के यात्रा भत्ता, आवास भोजन, बैक ड्राप, बुके, स्थानीय यात्रा हेतु गाड़ी की व्यवस्था तथा सभागार के डेकोरेशन आदि की व्यवस्था हेतु रू0 3,11,020.00 (रूपये तीन लाख ग्यारह हजार बीस मात्र) की प्रशासकीय स्वीकृति तथा स्वीकृत धनराशि में से रू0 2,00,000.00 (रूपये दो लाख मात्र) धनराशि कोषागार से अग्रिम आहरित कर व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. यह धनराशि उक्त शासनादेश में स्वीकृत रूपये 6.25 लाख (रूपये छः लाख पच्चीस हजार मात्र) में से व्यय की जायेगी लेकिन धनराशि को मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सनक्ष अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय–समय पर जारी किए गये शासनादेशों में निहित निदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

3. उपरोक्त अग्रिम आहरित धनराशि का नियमानुसार समायोजन दिनांक– 31–3–2006 तक कर दिया जाय एवं यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि किसी मद अथवा बीजक का दोहरा भुगतान न हो।

4. बजट मैनुअल/वित्त हस्त पुस्तिका एवं स्टोर परचेज रूल्स/डी0जी0एस0एन0डी0 की दरें अथवा टेन्डर/कोटेशन विषयक नियमों के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. धनराशि का आहरण/व्यय आवश्यकतानुसार एवं मितव्ययता को ध्यान में रखकर किया जाय। शेष शर्तें शासनादेश की तरह यथावत रहेगी।

6. विगत वर्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध कराये जाने तथा विगत स्वीकृत अग्रिम के समायोजन के बाद ही इस धनराशि का आहरण किया जा

7. उपरोक्त व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205 कला संस्कृति–00–102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन–06–साहित्यिक कला परिषद की स्थापना–00–20 सहा अनुदान/अंशदान/राजसहायता मद के आयोजनागत पक्ष के नामें डाला जायेगा।

8. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0– 57/वित्त अनु0–3/2005 दिनांक– 21 अक्टूबर, 2005 में उनकी सहमति के आधार पर जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

पृष्ठांकन संख्या– /VI-I/2005, तद्‌दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन।
5. निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
6. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

21100 5001